**निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर**

**प्रकरण संख्या 11/2008 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)**

सरकार जरिये अशोक कुमार योगी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

अशोक कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद पाठक

पता– 31/87/7 वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि.ग्रा मय 51.700 किलोग्राम एल पी जी को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 04.10.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.05..2022 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार किरण पथ नाला सेक्टर 43, दुकान संख्या 09 व 06 की आंच करने पर मौके पर भानु औटो पार्टस दुकान के अन्दर कोने में 5 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुये पाये गये । मोके पर दुकान पर लिखे दूरभाष नम्बर 6378983599 पर वार्ता कीं जाने पर श्री अशोक कुमार पाठक से वार्ता हुई, जिन्होंने दुकान एवं उसमें रखे सिलेण्डर उनके स्वयं के होना बताया। मौके पर श्री अशोक पाठक उपस्थित हुआ। जिसने घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण कब्जा व उपयोग के सम्बन्ध में जानकरारी व वैद्य दस्तावेज मांगे गये, जिसके सम्बन्ध में श्री पाठक द्वारा बताया गया कि वह 100/–रूपये लेकर सिलेण्डरों को गाडियों में भरता है तथा उसके पास घरेलू गैस सिलण्डरों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है। इंस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, घरेलू गैस को वाहनों में भरने व दुरूपयोग की नियत से अवैद्य भण्डारण करने का कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर आईओसी क्षमता 14.2 किलोग्राम को जब्त सरकार किया गया। मौके पर मैसर्स मानसरोवर इण्डेन गैस ऐजेन्सी मानसरोवर जयपुर के प्रतिनिधि श्री हीरालाल शर्मा पुत्र श्री भगवान दास शर्मा को सॉल्टर मशीन के साथ बुला कर उक्त सिलेण्डरों का तौल कराया गया जिसमें कुल 51.700 किलोग्राम एलपीजी पाई गई। जिन्हें मैसर्स मानसरोवर इण्डेन गैस ऐजेन्सी मानसरोवर जयपुर के प्रबन्धक श्री लाल सिंह पुत्र श्री राम कुमार सिंह निवासी जयपुर की सुपुदर्गी में दिये गये । जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 कि.ग्रा मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

जिला कलक्टर
जयपुर

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौके पर श्री अशोक पाठक से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, कब्जा व उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी व वैद्य दस्तावेज मांगे गये, जिसके सम्बन्ध में श्री पाठक द्वारा बताया गया कि वह 100/–रूपये लेकर सिलेण्डरों को गाडियों में भरता है तथा उसके पास घरेलू गैस सिलण्डरों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है। इंस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, घरेलू गैस को वाहनों में भरने व दुरूपयोग की नियत से अवैद्य भण्डारण करने का कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि जब्त किये गये गैस सिलेण्डर्स का प्रार्थी से कोई लेना देना नही है ये सिलेण्डर जान पहचान वालों के है जो उसकी दुकान पर रखे हुये थे। अतः जब्त सिलेण्डर्स रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 03.05.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. प्रार्थी ने जब्त सिलेण्डर अपनी जान पहचान वालों के बताये है, किन्तु जब्त सिलेण्डर बाबत किसी भी व्यक्ति ने अपनी मिल्कियत की दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी ने सिलेण्डर के स्वामित्व बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया है। घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये है जिससे अप्रार्थी द्वारा अवैद्य मुनाफा के लिए भण्डारण किये जाने की पुष्टि होती है। केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर वाणिज्यिक सिलेण्डर के मुकाबले कम दर पर उपलब्ध होते है, जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर की गैस को गाड़ियों में भरने के उपयोग में लिया जाता था। जो अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति को सिद्व करता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का अवैद्य भण्डारण कर उक्त गैस को वाहनों में भर कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप जब्त शुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 51.700 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 51.700 किलोग्राम एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर